

## कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक.....

14/एम7-49/2012...../ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2955 दिनांक 22.06.2009 में दिये गये निदेश के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना से प्राप्त आवेदन के आलोक में सरकारी सेवा में कार्यरत रहने की अवधि में मृत सरकारी सेवक स्व० देवेन्द्र प्रसाद, बस क्लीनर (च० व० कर्मचारी) राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना के आश्रित पुत्र श्री रवि शंकर कुमार, ग्राम+पोस्ट-दामोदरपुर, थाना-नगरनौसा, जिला-नालंदा (वर्तमान पता-प्रेमनगर चक, बैरिया, थाना-गोपालपुर, जिला-पटना-7) को राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना-7 में वर्ग-3 के लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध लिपिक के पद पर वेतनमान 3050-4590 पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे 1900 में (समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य देय भत्ते के साथ) पूर्णतः अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए परीक्ष्यमान के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करते हुए, राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना-7 में पदस्थापित किया जाता है।

1. कम्प्यूटर सक्षमता संबंधी अर्हता सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-3/एम-89/10 -1609 दिनांक 24.05.2011 से आच्छादित होगा।

2. यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी होगी तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना दिये समाप्त की जा सकेगी।

3. पदभार ग्रहण करने के समय उन्हें किसी सरकारी असेनिक शल्य चिकित्सक से स्वास्थ्य स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करने के लिए उन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. अगर भविष्य में ऐसा पाया जायेगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये जिन कागजातों के आधार पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की गयी है, वह गलत है तो वैसी स्थिति में उनको एक कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुए उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा।

6. पदभार ग्रहण करने के समय उन्हें विहित प्रपत्र में मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों के भरण पोषण करने संबंधी घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. योगदान के समय चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा एवं इससे होने वाला वार्षिक आय का शपथ पत्र देना होगा।

8. इनकी नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-2955 दिनांक 22.06.2009 एवं पत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.1991 में निहित प्रावधानों के अनुसार इस शर्त पर की जाती है कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित पारिवार के सदस्यों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व इन पर होगा। इस दायित्व की अवहेलना गम्भीर कदाचार माना जायेगा तथा इनके विरुद्ध कार्यवाही भी चलायी जा सकती है। यदि पाया जायेगा कि ये अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में इनकी कुल परिलब्धियों का एक अंश काटकर मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

9. यह नियुक्ति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-वि०(27) पें० को०-53/04-2469 दिनांक 16.11.2005 के आलोक में दिनांक 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों पर प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होगा।

10. नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि विभाग से करा लिया जाय।

11. श्री रवि शंकर कुमार को निदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान संबंधित कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर निश्चित रूप से दें।

12. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(खालिद मिर्जा)  
निदेशक (उच्च शिक्षा)

ज्ञापांक-14/एम7-49/2012...../

पटना, दिनांक ...../.../2016

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(खालिद मिर्जा)  
निदेशक (उच्च शिक्षा)

ज्ञापांक-14/एम7-49/2012...../

पटना, दिनांक ...../.../2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(खालिद मिर्जा)  
निदेशक (उच्च शिक्षा)

ज्ञापांक-14/एम7-49/2012...../

पटना, दिनांक 22/6/2016

प्रतिलिपि:- माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/अपर सचिव के निजी सहायक, शिक्षा विभाग/ प्रभारी प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना/श्री रवि शंकर कुमार, पुत्र स्व० देवेन्द्र प्रसाद, ग्राम+पोस्ट-दामोदरपुर, थाना-नगरनौसा, जिला-नालंदा (वर्तमान पता-प्रेमनगर चक, बैरिया, थाना-गोपालपुर, जिला-पटना-7)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14, शिक्षा विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

खालिद मिर्जा  
22-8-11  
(खालिद मिर्जा)  
निदेशक (उच्च शिक्षा)